राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान
State Level Banker `s Committee, Rajasthan
संयोजक
Convener
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

रा.अं./एस.एल.बी.सी./2016-17/138 दिनांक: 18.05.2016

➢ **सभी नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान (Letter to all Controlling Head, Member Banks, Rajasthan)**

महोदय/महोदया,

विषय: बैंकों द्वारा ई-मित्र किओस्क धारक को कार्यशील पूंजी सुविधा (Working Capital facility to e-mitra) उपलब्ध करवाने के संबंध में.

दिनांक 13.05.2016 को सचिव, आयोजना एवं सूचना एण्ड प्रौघोगिकी व राज्य निदेशक प्रधानमंत्री जन-धन योजना, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में ई-मित्र किओस्क धारक को कार्यशील पूंजी सुविधा उपलब्ध करवाने के संदर्भ में बैंकर्स के साथ हुयी बैठक का संदर्भ देते हैं.

बैठक में सूचित किया गया कि बैंकों में उनके द्वारा नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (Business Correspondent Agent) तथा/अथवा अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (Additional Business Correspondent Agent) को साख सुविधा उपलब्ध करवाने के मौजूदा प्रावधान हैं परन्तु ऐसे ई-मित्र किओस्क धारक जो वर्तमान में बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (Business Correspondent Agent) या अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (Additional Business Correspondent Agent) के रूप में कार्यरत नहीं हैं, उन्हें साख सुविधा उपलब्ध करवाने के मौजूदा प्रावधान नहीं हैं. बैठक में इसके दृष्टिगत ई-मित्र किओस्क धारक को कार्यशील पूंजी सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. बैंक अपने व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (Business Correspondent Agent) तथा/अथवा अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (Additional Business Correspondent Agent) को मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत साख सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं.

2. ई-मित्र किओस्क धारक द्वारा जिस बैंक की शाखा में चालू खाता या निपटान खाता (Current or Settlement Account) संधारित (Maintain) किया जा रहा है, उस बैंक शाखा में ही साख सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं. तत्पश्चात सम्बंधित बैंक शाखा आवेदन का उचित मूल्यांकन (due diligence) कर ई-मित्र किओस्क धारक को गुण-दोष (on merits) के आधार पर कार्यशील पूंजी सुविधा उपलब्ध करवा सकती हैं.

3. बैंक उनके उप-सेवा क्षेत्र में कार्यरत ई-मित्र किओस्क को अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (Additional Business Correspondent Agent) के रूप में नियुक्त कर मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत कार्यशील पूंजी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं.

बैंक, ई-मित्र किओस्क धारक को कार्यशील पूंजी सुविधा (Working Capital facility to e-mitra) मौजूदा प्रावधान अथवा प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत उपलब्ध करवा सकते हैं. हमें विश्वास है कि राज्य सरकार एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के निर्णय से राज्य में वित्तीय समावेशन की मुहिम को तीव्र गति मिलेगी तथा बैंकों को मुद्रा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा.

कृपया आपके अधीन कार्यरत समस्त शाखाओं को समुचित दिशा-निर्देश जारी करवाने का श्रम करें.

भवदीय

(एस.के.अरोड़ा)
संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान

(अखिल अरोड़ा)
सचिव, आयोजना एवं सूचना एण्ड प्रौघोगिकी, राजस्थान सरकार

अंचल कार्यालय, चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लॉट न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, बी.एस.एन.एल. के पास, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर Zonal Office, 4th Floor, Baroda Bhawan, Plot No. 13, Airport Plaza, Near BSNL, Durgapura, Tonk Road, Jaipur – 302 018
फोन/Phone: 0141-2727126, 2727114 फैक्स/Fax: 0141-2727106 E-mail: slbc.rz@bankofbaroda.com, वेबसाईट/website: www.slbcrajasthan.com